ब–अदालत, अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा

आर0ई0आर0 केस नं0–24 / 19–20

चान्दु पहाड़ी बनाम् संत एन्थोनी विद्यालय

22.11.2022

–: आदेश :–

प्रस्तुत वाद मुख्यमंत्री जनसंवाद केन्द्र झारखंड के Grievance नं0–2017–57729, दिनांक–12.11.2017 के आलोक में अंचल अधिकारी, बोआरीजोर के पत्रांक–374 / रा0, दिनांक–12.07.2019 से प्राप्त पत्र के माध्यम आवेदक चान्दु पहाड़ी, सा0–फुलबड़िया, थाना व अंचल–बोआरीजोर, जिला–गोड्डा के आवेदन पर मौजा–फुलबड़िया, जमाबंदी नं0–15, दाग नं0–302 के अंश रकवा–00–01–10 धूर भूमि एवं 20X25कड़ी = 500 वर्ग कड़ी से क्रमशः विपक्षी संत एन्थोनी विद्यालय के प्राचार्य एवं सुरेन्द्र मुर्मू को उच्छेद करने हेतु दायर किया गया है। उभय पक्ष को कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत किया गया।

अंचल अधिकारी, बोआरीजोर द्वारा अपने पत्रांक–374 / रा0, दिनांक–12.07.2019 से जांचोपरांत प्रतिवेदन समर्पित किया तथा उभय पक्ष द्वारा अपने विज्ञ अधिवक्ता के माध्यम से कारण पृच्छा दाखिल किया।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को सुनने, अंचल अधिकारी, बोआरीजोर द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन एवं अभिलेख में संलग्न कागजात के अवलोकनोपरांत प्रासंगिक भूमि के जमाबंदी रैयत से विपक्षी को कोई संबंध नहीं रहने के कारण विपक्षी का अवैध दखल कब्जा प्रतीत होता है। अतः विपक्षी को प्रासंगिक भूमि से संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 20 एवं 42 के तहत् उच्छेद किया जाता है। आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, बोआरीजोर को भेजे।

लेखापित एवं संशोधित।

(हस्ताक्षर) 22.11.22
अनुमंडल पदाधिकारी,
महागामा।

(हस्ताक्षर) 22.11.22
अनुमंडल पदाधिकारी,
महागामा।

Seen Ramesh 11/4/23

Seen 12/4/23

Digitally signed by Saurabh Kumar Bhuwania
Date: 2023.04.15 16:16:54 +05:30
Location: 192.168.8.115